रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1971/माघ 19, 1892

No. 21] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1971/MAGHA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 8th February 1971*

SUBJECT.—*Import policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971 (Amendment No 59).*

**No. 15 ITC(PN)/71**—Attention is invited to the Import policy for Registered Exporter contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (RED BOOK) for the yea April 1970—March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC (PN)/70 dated 31-3-70.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

| Page No. of the Red Book (Vol. II) | | Reference | Amendments |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | A.72 Col 2] | The existing entry may be corrected to read as under:— 'Electric power capacitors and condensors. |
| 2 | 116 | B312 Col 4 | The existing entry (e) may be corrected to read as under:— "Solvent naphtha (51%)." |
| 3 | 187 | L.2.3. Col 5 | The following remark may be added after the existing remark(2):— "(3) The ceiling price (vide General Note (1) will be Rs. 15/- per Kg of woollen goods made out of shoddy wool.' |

3 Consequent to the amendment referred to at serial No. 4 above, the entry "Capacitors and condensors.....A.72" appearing on page xiii of the Index of the above an Red Book may be deleted and the entry "Electric power Capacitors and condensors.....A.72" may be insertedin the Index at the appropriate place under the product Group "A. ENGINEERING GOODS'.

---

## विदेश मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचनाएं

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1971

विषय :—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 59)।

सं० 15 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48 आई० टी० सी० (पी एन)/70, दिनांक 21-3-1970 के अन्तर्गत जारी की गई अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक) के वालुम-2 में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

| रेडबुक (वालुम-2) की पृष्ठ संख्या | संदर्भ | संशोधन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 60 | ए० 72<br>कालम-2 | वर्तमान प्रविष्टि को शुद्ध कर नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाए :—<br>"विद्युतीय शक्ति संधारित्रों तथा संधनित्रों।" |
| 2. 116 | बी० 31.2<br>कालम-4 | वर्तमान प्रविष्टि (ई) को शुद्ध कर नीचे अनुसार पढ़ा जाए :—<br>"विलयक नैप्था (50 प्रतिशत)।" |
| 3. 187 | एल० 2.3<br>कालम-5 | निम्नलिखित टिप्पणी को वर्तमान टिप्पणी (2) के बाद जोडा जाए :—<br>"(3) मोटे ऊनों से बने ऊनी माल की प्रति किलो उच्चतम कीमत (सामान्य नोट (1) देखें 15/- रुपये होगी।" |

3. ऊपर की क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित संशोधन के फलस्वरूप उपर्युक्त रेडबुक के सूचक की पृष्ठ संख्या 13 पर की दिखाई गई प्रविष्टि "संधारित्र और संधनित्र—ए० 72" को निकाल दिया जाए और प्रविष्टि "विद्युतीय शक्ति संधारित्रों और संधनित्रों—ए० 72" को सूचक में उत्पाद वर्ग "ए अभियंत्रक माल" के अन्तर्गत उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters—Application form for claiming replenishment benefits—Additions to the Undertaking attached to (Amendment No. 60).*

**No. 16-ITC(PN)/71.**—Attention is invited to the Annexure IV to the Appendix 4 of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1970, whereunder the Form of Application for claiming replenishment benefits has been prescribed.

2. It has now been decided that the following shall be added in the "undertaking' appearing at page 342 of the above referred Annexure IV after the existing clause (v):—

"*(vi) I/We hereby declare that the prices charged for books/journals/periodicals exported were not less than the listed foreign prices minus a discount of not more than 40 per cent. In cases where no foreign price was listed, the books/journals/periodicals were exported at a price not less than the listed Indian price converted into foreign currency at the official exchange rate, minus the usual trade discount not exceeding 40 per cent.

*(vii) I/We declare that the figures on the basis of which this application for replenishment licence is made do not include exports of books/journals/periodicals intended for internal use only and prohibited from being exported.

*Applicable to merchant exporters of books and periodicals only.".

BHAGWAN SINGH,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति—पुनर्पूर्ति लाभों के दावे के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप—(संशोधन संख्या 60) के लिए संलग्न उत्तर-दायित्व के लिए संकलन।

सं० 16 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 :—आई० टी० सी० कार्यविधि तथा नियम, हैंड बुक के परिशिष्ट 4 के लिए अनुबंध 4 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत पुर्नपूर्ति के लिए दावे के आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित को उपयुक्त उल्लिखित अनुबंध 4 की पृष्ट संख्या 342 पर दिखाए गए 'उत्तरदायित्व', में वर्तमान 5 खंड के बाद जोड़ा जाएगा :—

"(6) मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि निर्यात की गई किताबों/अखबारों पत्रिकाओं के लिए जो कीमत ली गई थी, वह सूचीबद्ध विदेशी कीमतों से 40 प्रतिशत से अधिक की नहीं थी गई छूट को घटा कर भी उससे कम नहीं थी। उन मामलों में, जहां विदेशी कीमत सूचिबद्ध नहीं की गई थी, निर्यात की गई किताबों/अखबारों/पत्रिकाओं की कीमत भारतीय सूची- बद्ध कीमत से कम नहीं थी, जिसका परिवर्तन सरकारी मुद्रा-विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में किया गया था और उसमें सामान्य व्यापार छूट घटा दी गई थी जो 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं थी।

*(7) मैं/हम लोग इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि वे आंकड़े जिसके आधार पर पुर्नप्रति लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, उसमें उन निर्यात की गई किताबों /अखबारों,/ पत्रिकाओं को शामिल नहीं किया गया है जो केवल देश में प्रयोग के लिए हैं और निर्यात करने के लिए वर्जित हैं।

केवल किताबों और पत्रिकाओं के निर्यात करने वाले व्यापारियों के लिए लागू है।"

भगवान सिंह
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971